संख्या- /22-4-2010-48(21)/03

प्रेषक,

सत्य प्रकाश पंखा,
उप सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊःदिनांक- 10 जून, 2010

विषयः- नव सृजित जनपद औरैया में जिला कारागार निर्माण हेतु भूमि क्रय/अधिग्रहण के लिए प्रतिकर की 20 प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष वांछित अतिरिक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-15265/नम-1 दिनांक-19.05.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नवसृजित जनपद औरैया में जिला कारागार के निर्माण हेतु ग्राम नौली व उमरसाना, जनपद औरैया में काश्तकारों की भूमि 23.081 हेक्टेयर के क्रय/अधिग्रहण हेतु शासनादेश संख्या-2082/22-4-2009-48(21)/03 दिनांक-27 जनवरी, 2010 एवं शासनादेश संख्या-196/22-4-2010-48(21)/03 दिनांक-04 फरवरी, 2010 के अनुक्रम में अनुमानित प्रतिकर के 20 प्रतिशत की अतिरिक्त अवशेष धनराशि रु0-9,322.00 (रूपये नौ हजार तीन सौ बाईस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति महामहिम श्री राज्यपाल इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि चयनित भूमि का क्षेत्रफल आवश्यकता/निर्धारित मानक के सीमान्तर्गत होने तथा प्रतिकर हेतु आकलित धनराशि नियमानुसार उपयुक्त होने के विषय में सुनिश्चित होने का सम्पूर्ण दायित्व महानिरीक्षक, कारागार का होगा।

2. उक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-2011 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक-4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यर्य-800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-09-नवसृजित जनपदों में कारागार के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिये एक मुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा और उक्त मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-1345/दस-2010 दिनांक-09 जून, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पंखा)
उप सचिव।

P.T.O

संख्या-113 (1)/22-4-2010-तद् दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, उ.प्र., इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, औरैया।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-12/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश पंखा)
उप सचिव।